17/1/2020

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी के वकील द्वारा प्रस्तुत डिलवरी रिपोर्ट सामिल मिसल हो। आज अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 211 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 212 रकबा 147.08 बीघा कुल रकबा 147.13 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 211 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 212 रकबा 147.08 बीघा कुल रकबा 147.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत्

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 96/2020 अनवान रायमलराम बनाम भैराराम**
	राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

रीडर/2020/ 2784

दिनांक –22-12-20

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
रायमलराम पुत्र जुगताराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाडमेर।		1 भेराराम पुत्र रावताराम जाति ढाढी 2 आसूराम 3 गोरखाराम 4 छगनलाल पिसरान हनुमानराम 5 सारो पत्नी हनुमानराम जाति ब्राह्मण 6 मांगाराम 7 मुकनाराम पिसरान आदूराम 8 बगताराम पुत्र टीकूराम 9 गेनाराम 10 जोगाराम पिसरान वालाराम 11 मोहिनी पत्नी महेशाराम 12 सोनाराम पुत्र सुखाराम 13 ठाकराराम 14 नानगाराम पिसरान गंगाराम 15 अमराराम 16 भोमाराम 17 ताजाराम पिसरान बुधराराम 18 सगनी पत्नी बुधराराम जाति जाट निवासी बोला 19 सोनाराम 20 रतनाराम पिसरान उदाराम 21 लाभूराम पुत्र तुलसाराम जाति जाट 22 खंगाराराम पुत्र सागलाराम 23 सोहनलाल पुत्र इन्द्राराम 24 नेनू पत्नी इन्द्राराम जाति सुथार निवासी तंवरपुरा (बोला) तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 96/2020 दिनांक– 17.12.20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 211 रकबा 0.05 बीघा व खसरा संख्या 212 रकबा 147.08 बीघा कुल रकबा 147.13 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक– 22/12/20

क्रमांक :– रीडर/2020/ 2785-88

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें। ... है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर ... उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही ... करें।
3. रायमलराम पुत्र जुगताराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी भेराराम पुत्र रावताराम वगैराह जाति ढाढी निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested